फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर
जगदीश बनाम कृष्ण व अन्य
किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या :– 35/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम संयुक्त खाता तहसील सूरतगढ़ की रोही किशनपुरा के खाता सं. 1/1 के खसरा सं. 180 में 2.530 है0 बारानी, खसरा सं. 210/2.530 है0 बारानी कुल 5.060 है0 बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त जैरवाद भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता श्योकरण पुत्र बस्तीराम के नाम से टी.सी. आवंटन थी जो कि पुख्ता आवंटन होकर खातेदारी होकर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई पिता की मृत्यु के बाद विरास्तन व दस्तबदारी से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज हाकर अपने–अपने हिस्सा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैरवाद भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक घरू बंटवारा करवा दिया था तथा बाद में उसी मौखिक बंटवारा अनुसार एक लिखित बंटवारानामा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 09.02.1944 को गवाहान के सामने करवाया। उसी बंटवारा के अनुसार रोही किशनपुरा के खाता सं. 1/1 खसरा सं. 210 में 2.530 है0 बारानी पश्चिमी दिशा में (आथुण) एवं उत्राद दिखणाद लम्बी जो सोमासर चालू रास्ता के चिपती है जिसमें प्रार्थी का मकान व ट्यूबवैल लगा है। प्रार्थी ने उक्त रकबा को समतल कर काश्त योग्य बनाया है लेकिन अब अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है एवं धमकी दे रहे है कि हम तुम्हारी कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करेगें। जैरवाद भूमि को हस्तान्तरित करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण ने खाता विभाजन से पूर्व ही जैरवाद रकबा में से अच्छी भूमि का बैचान कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर जैरवाद भूमि को रहन, बैय हस्तान्तरण न करें एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में न ही स्वयं दखलदांजी करें व न ही किसी अन्य से करवायें व मदाखलत बेजा न करें का स्थगन वाद के निर्णय तक जारी किया जावे। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई बंटवारा नही किया था जो बंटवारा प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है वह नाना पुराराम से प्राप्त भूमि खसरा सं. 208,209,181 की 30.00 बीघा का बंटवारानामा है। पिता से प्राप्त भूमि का बंटवारानमा नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त रूप से जैरवाद भूमि को काश्त करते है, दोनों ने मिलकर भूमि का उपजाउ बनाया है। अप्रार्थी भी कब्जा अनुसार खाता विभाजन करने पर सहमत है। कानूनन एक सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, क्योंकि संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सहकाश्तकार का इंच–इंच भूमि पर हक होता है। प्रा.पत्र मय कोस्ट खारिज की जावे। कानूंनी नजीर RRT 2015(1) पेज सं. 633 व RRT 2019(1) पेज सं. 01 प्रस्तुत की। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व दस्तावेजों व कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ग्राम किशनपुरा खाता सं. 1 खसरा सं. 180/2.530 है0, 210/2.530 है0 कुल 5.060 है0 बारानी भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा दिनांक 09.02.1994 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जो कि नोटेरी से तस्दीक है ऐसा प्रतीत होता है। उक्त दस्तावेज नोटेरी से रजिस्टर्ड है। जैरवाद रकबा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी अंकित है तथा अंकित खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन जारी नही किया जा सकता है। किन्तु यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्सा की भूमि का बेचान दिशा दर्शाते हुए कर दिया तो प्रार्थी का दावा बेसूद हो जावेगा। इसलिये प्रार्थी का प्रा.पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रा.पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि अपनी भूमि का बेचान दिशा दर्शाते हुए बेचान न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर निर्णय सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.09 15:32:06 IST
Reason: Self Attested

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़